BAIF INSTITUTE FOR SUSTAINABLE LIVELIHOODS AND DEVELOPMENT
State Office: Bihar
House No.1, Road no. 8, East Patel Nagar, Patna 800023, Bihar, India
Ph:+91 0612-2284326 Telefax: +91 0612-2292486
Email: bisld.bihar@baif.org.in Website: www.bisld.org.in

पत्रांक संख्या-- 130 दिनांक--21.05.2022

सेवा में,

विषय— द्रव्य नत्रजन आदि के आपूर्ति हेतु ट्रांसपोर्ट वाहन — पिकअप व टाटा 407 भाडे पर लिये जाने हेतु कोटेशन।

महोदय,

आप सभी को अवगत कराना है कि बाएफ इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल लाईवलीहुडस एण्ड डेवलपमेंट बिहार राज्य में पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र में कार्य करती है। जिसके लिए राज्य के प्रत्येक जिले में द्रव्य नत्रजन आदि सामाग्री का आपूर्ति प्रत्येक माह किया जाता है। जिसके लिए उपरोक्त वाहन की आवश्यकता पडती है, तथा एक वर्ष के अनुबन्ध निष्पादन कर उक्त कार्य कराया जाता है। आप अपना कोटेशन बन्द लिफाफे में उपरोक्त पते पर प्रेषित करें। कोटेशन दिनांक 04.06.2022 शाम 5 बजे तक जमा किया जाएगा तथा दिनांक 06.06.2022 को 3 बजे खोला जाएगा। जिनके लिए मुख्य शर्ते निम्नवत है—

नियम एवं शर्ते (Terms & Condition) :—

1. कोटेशन प्रति किमी की दर से टैक्स के साथ एवं बिना टैक्स के अलग—अलग स्पष्ट अंकित होनी चाहिए।
2. संस्था को वर्तमान में 7 वाहन (पिक अप—05 व टाटा 407—02) का आवश्यकता है। वाहन अच्छे कन्डीशन में होना चाहिए। जिससे द्रव्य नत्रजन की सप्लाई प्रभावित न हों।
3. द्रव्य नत्रजन अति आवश्यक सामाग्री है जिसे अनिवार्य रूप से प्रतिमाह वितरण कराया जाना है। अतः इसमें किसी भी प्रकार वाहन की अनोपलब्धता मान्य नहीं है। अतः वाहन नही उपलब्ध होने की दशा में अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा।
4. वाहन में औसतन 1 से 03 टन वजन होगा। समस्त वाहनों के टायर उच्च गुणवत्ता का होना अनिवार्य है।
5. वाहन के द्वारा, सीमेन, एवं नाइट्रोजन वितरण हेतु प्रतिमाह एक वाहन लगभग 4 हजार किलोमीटर की दूरी तय करेगी। संस्था के कुछ केन्द्र ऐसे स्थानों पर हैं, जहॉ कुछ मार्ग कच्चा है परन्तु आवागमन में है। ऐसे केन्द्रों पर वाहन भेजने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए।
6. अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष के लिए होगी। संस्था प्रबंधन चाहे तो अनुबन्ध की अवधि में कमी या वृद्वि कर सकता है।
7. वाहन पर कन्टेनर की सुरक्षा हेतु त्रिपाल, पीछे के पट्टे/शटर/ जालीदार गेट, गद्दे आदि उपलब्ध कराने की जिम्मवारी वाहन मालिक की होगी।
8. वाहन हेतु भुगतान किया गया समस्त टोल टैक्स वाहन मालिक द्वारा वहन किया जाएगा। संस्था द्वारा केवल राज्य से बाहर भेजे जाने पर देय टोल टैक्स एवं टी0पी0 की मूल सरकारी रसीद उपलब्ध कराने पर धनराशि दिये जाने वाले भुगतान के साथ ही प्रदान की जाएगी।
9. वाहन चलाते समय किसी प्रकार का नशा नहीं किया जाएगा। ड्राइवर के नाशे के कारण होनेवाले नुकसान की जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी। ड्राइवर वाहन को संस्था के प्रतिनिधि के दिशा निर्देशानुसार ही संचालन करेगा तथा कंटेनर उतारने—चढाने में संस्था प्रतिनिधि की मदद भी करेगा। ड्राइवर, वाहन संचालक से संबंधित किसी प्रकार की

BAIF INSTITUTE FOR SUSTAINABLE LIVELIHOODS AND DEVELOPMENT
State Office: Bihar
House No.1, Road no. 8, East Patel Nagar, Patna 800023, Bihar, India
Ph:+91 0612-2284326 Telefax: +91 0612-2292486
Email: bisld.bihar@baif.org.in Website: www.bisld.org.in

परेशानी होने पर मुख्य कार्यालय से सम्पर्क करेगा। ड्राइवर संस्था के प्रतिनिधि से किसी भी प्रकार का वाद-- विवाद नहीं करेगा।

10. संस्था के कंटेनर आदि के अलावा वाहन में बाहरी किसी भी प्रकार का सामान नही रखा जाएगा एवं किसी भी बाहरी सवारियों को नही बैठाया जाएगा। यदि ऐसा पाया जाएगा तो अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा।
11. वाहन में यदि कोई गैरकानूनी सामान पाया गया तो इसकी जिम्मेवार वाहन मालिक की होगी।
12. ड्राइवर के लाइसेन्स, बीमा, आर0 सी0 बुक, रोड परमिट आदि सभी कागजात रखने की जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी तथा उसकी एक कापी राज्य कार्यालय में देनी होगी। इसके साथ वाहन मालिक का पैन कार्ड की हस्ताक्षरित छायाप्रति भी कार्यालय में जमा करना होगा।
13. वाहन के इंजन, मोबील, पत्ति आदि का पूर्ण कार्य एवं टैक्स, इन्सोरेन्स, रोड परमिट आदि सभी कागजात पूर्ण रखने की समस्त जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। यदि किसी कारण वश वाहन पकडी जाती है तो समस्त सामाग्री को दूसरी गाडी में शिफ्ट करा कर गणतव्य स्थान तक पहुंचाने का सम्पूर्ण दायित्व वाहन मालिक का होगा, तथा किसी भी प्रकार की वाहन में टूट–फूट एवं रिपेयरिंग की जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी।
14. चयनित फर्म द्वारा सम्पन्न होने पर बिल जमा करने के 15 दिन के अन्दर RTGS/Cheque के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। यदि बिलों किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि प्रावधानित नही है।
15. अनुबन्ध एक वर्ष के लिए निष्पादित होगा। यदि डीजल मूल्य में वृद्धि या कमी होती है तो पिकअप, 10 से तथा टाटा 407, 8 से भाग देकर प्रति किमी की दर प्रत्येक तीन माह पर आंकलन कर कमी या वृद्धि की जाएगी। अन्यथा पूर्व में निर्धारित दर पर ही वाहनों का संचालन जारी रहेगा।
16. आयकर अधिनियम के तहत टी0 डी0 एस0 की कटौती वाहन मालिक के प्रत्येक बिल से की जाएगी। तथा वाहन मालिक द्वारा दिये गये बिल पर GST न0 अथवा धोषणा पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य है, विकेता से विकेता का क्रेज संबंधी मापदण्ड अवश्य ही पूरा होना चाहिए।
17. वाद विवाद फैसला पटना न्यायालाय में होगा तथा उसका सारा खर्च वाहन मालिक को वहन करना होगा।
18. अनुबन्ध हेतु स्टांप शुल्क का वहन वाहन मालिक द्वारा किया जाएगा।

कृपया आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी निविदा वाहन का प्रति किमी दर का सुस्पष्ट विवरण सहित प्रेषित करें। जो उपरोक्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा जिस पार्टी का रेट न्यूनतम होगा उसी का चयन किया जायेगा। अनुबन्ध निष्पादित उपरान्त ही वाहनों का संचालन किया जाऐगा। जिसमें समस्त बिन्दुओं की जानकारी पूर्व में आपको उपलब्ध कराई जायेगी। उक्त सभी कार्य संस्था की कय समिति के निर्णय के उपरान्त किया जायेगा। जिसमें पूर्ण पारदर्शिता रहेगी। इस सम्बन्ध में कोई भी जानकारी लेनी हो तो राज्य कार्यालय आकर दिये गये पते पर सम्पर्क कर सकते है।

सधन्यवाद।

(डॉ० एम० के० श्रीवास्तव)
मुख्य कार्यक्रम अधिशाषी।
बिहार।